कार्यालय प्रबंध संचालक,

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल

समाचार

उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें

भोपाल 7 मई। अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग श्री आई.सी.पी. केशरी ने कहा कि विद्युत उपकेन्द्रों का रखरखाव तथा 33 के. व्ही. और 11 के. व्ही. लाईन के रखरखाव के कार्य को प्रभावी ढ़ग से किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य शासन की प्राथमिकता है। श्री केशरी ने कहा है कि रमजान का महीना और अगले माह जल्दी मानसून आने की संभावना को देखते हुए विद्युत प्रणाली की माइक्रो स्तर तक मॉनिटरिंग की जाए। श्री केशरी आज भोपाल में रेतघाट, छोला, बड़ाबाग, चांदबड़, सुल्तानिया रोड के विद्युत उपकेन्द्रों की कार्य प्रणाली और आॅपरेटिंग स्टाफ तथा लाईन स्टाफ से भी चर्चा कर रहे थे।

अपर मुख्य सचिव श्री केशरी ने कहा कि इस प्रकार का प्रबंधन किया जाए कि एक उपकेन्द्र से आपूर्ति बंद होने पर दूसरे उपकेन्द्रों से तत्काल विद्युत आपूर्ति चालू की जा सकें। उन्होंने विद्युत सुरक्षा सावधनियां का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया। उन्होंने लाईन स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए और कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

इस अवसर पर भोपाल क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक ए. के. खत्री, एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक श्री राजीव केसकर, शहर वृत्त के महाप्रबंधक श्री अमृतपाल सिंह सभी संबंधित आधिकारी उपस्थित थे।

समाचार क्र. 40/2019

(मनोज द्विवेदी)

वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी

कार्यालय प्रबंध संचालक
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

समाचार

विद्युत सुरक्षा हेतु सावधानियॉ
ग्राम निवासी अवश्य ध्यान दें

भोपाल 02 मई।

- विद्युत लाइनों, उपकरणों एवं खंभों से छेड़खानी करना विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। जरा-सी असावधानी या छेड़खानी से बड़े-बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं।
  इसलिये निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए :-

- ऐसी लाइनें जिनमें विद्युत शक्ति प्रवाहित होती है यदि आॅंधी तूफान या अन्य किसी कारण से अकस्मात् उन्हें छूकर खतरा मोल न लें। आवश्यक बात यह है कि लाइन टूटने की सूचना शीघ्र ही निकटस्थ बिजली कंपनी के अधिकारी को अथवा विद्युत कर्मचारी को दें। संभव हो तो किसी आदमी को उस जगह, अन्य यात्रियों को चेतावनी देने के लिये रखें।
- नये घर बनाते समय विद्युत पारेषण अथवा वितरण लाइन से समुचित दूरी रखें। यह कानून की दृष्टि से भी आवश्यक है। उचित फासले के विषय में स्थानीय बिजली कंपनी के अधिकारी से सलाह लें। आपके बच्चों एवं कुटुम्बीजनों की सुरक्षा के लिए यह अति आवश्यक है।
- खेतों खलिहानों में ऊँची-ऊंची घास की गंजी, कटी फसल की ढेरियॉ, झोपड़ी, मकान अथवा तंबू आदि विद्युत लाइनों के नीचे अथवा अत्यंत समीप न बनायें।
- विद्युत लाइनों के नीचे से अनाज, भूसे आदि की ऊूंची भरी हुई गाड़ियॉ न निकालें, इससे आग लगने एवं प्राण जाने का खतरा है।
- बहुत से स्थानों पर बच्चे पतंग अथवा लंगर का खेल खेलते तरह-तरह के धागे और डोर विद्युत लाइनों में फंसा देते हैं। ऐसा करने से उन्हें रोकें। लाइनों में फंसी पतंग निकालने के लिए बच्चों को कभी भी खंभे पर चढ़ने न दें।
- लाइन पर तार या झाड़ियां न फेकें। यदि कोई ऐसा करता है तो इसकी सूचना पास के पुलिस थाने या विद्युत कंपनी के वितरण केन्द्र में दें। विद्युत लाइनों के पास लगे वृक्ष या उनकी शाखा न काटंे। यदि कटी डाल लाइन पर गिरे तो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है।
- बिजली के तारों पर कपड़े आदि डालना दुर्घटना को निमंत्रण देना है। अपने खेत खलिहान पर या संपत्ति की सुरक्षा हेतु अवरोधक तारों (फेन्सिंग वायर्स) में विद्युत प्रवाहित न करें। यह कानूनी अपराध भी है। इस प्रकार विद्युत का उपयोग करने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

- बिजली के खंभों पर कदापि न चढ़ें एवं स्टे-वायर आदि विद्युत उपकरणों से छेड़खानी न करें। ऐसा करने से आपका जीवन संकट में पड़ सकता है।
- बिजली के खंभों या स्टे-वायर से जानवर आदि न बांधे और न ही इससे जानवरों को रगड़ने दें। इससे जनधन की हानि हो सकती है।

यदि कोई व्यक्ति सजीव (चालू लाइन के) तारों के संपर्क में आ जाता है तो निम्न सावधानी बरतनी चाहिए :

अ. स्विच से विद्युत प्रवाह तुरंत बंद कर दें।

ब. यदि स्विच बंद न कर सकें तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सूखी रस्सी, सूखा कपड़ा या सूखी लकड़ी की सहायता से सजीव तारों से अलग करें। ऐसा न करने से सहायता करने वाले को भी झटका (शॉक) लग सकता है।

स. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सजीव तारों से शीघ्र ही अलग करें क्योंकि एक सेकेण्ड की भी देरी घातक हो सकती है।

द. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सूखी जमीन या सूखे फर्श पर लिटायें एवं कृत्रिम सांस देकर उसका प्रथमोपचार करें। डॉक्टर को तत्काल बुला कर कृत्रिम श्वॉस देवें अथवा उसे शीघ्र अस्पताल पहुॅचावें।

- घरों में बिजली के तार सुव्यवस्थित ढंग से लगावें। अव्यवस्थित एवं ढीले-ढाले या झूलते तार खतरे से खाली नहीं है। सभी विद्युत यंत्रों के उपयोग में सावधानी बरतें।
- विद्युत तारों अथवा उपकरणों की खराबी दूर करने के लिए तथा बिजली का फ्यूज सुधारने के लिये किसी जानकार की ही सहायता लें। इससे एक ओर जहॉ दुर्घटना को टाला जा सकेगा वहीं दूसरी ओर आप आर्थिक हानि से भी बच सकेंगे।
- घरेलू उपकरणों एवं विद्युत फिटिंग का अर्थिंग करना अति आवश्यक है। सही अर्थिंग न होने से विद्युत दुर्घटना हो सकती है।
- प्रकाश/थ्रेशर चलाने के लिये लम्बे एवं जोड़ वाले तारों का उपयोग न करें। थ्रेशर के तारों को बिजली कंपनी की लाइनों से अनधिकृत रूप से न जोड़ें। ऐसा करने से दुर्घटना हो सकती है एवं आपके विरूद्ध विद्युत चोरी का इल्जाम लगाया जा सकता है और कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

समाचार क्र. 39/2019

(मनोज द्विवेदी)
वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी